प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2012

01 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1.1 ये नियम 'प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी, कर्मचारी सेवा नियम 2012 कहलाएंगे।

1.2 इन नियमों के प्रभावी होने की दिनांक से सोसायटी की सेवा में जो कर्मचारी कार्यरत हो और जो इन सेवा नियम के लागू होने के पश्चात नियुक्त होंगे उन कर्मचारियों पर लागू होंगे।

1.3 इन सेवा नियमों में उल्लेखित किसी तथ्य के होते हुए भी अथवा किसी तथ्य का समावेश न होने की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

02 परिभाषायें

2.1 "**सोसायटी**" से तात्पर्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत की गई तथा बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी, से है जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी सोसायटी, कृषक सेवा सहकारी सोसायटी, वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी तथा सेवा सहकारी सोसायटी सम्मिलित है।

2.2 "**अध्यक्ष**" से तात्पर्य सोसायटी के समिति के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा समिति के अधिक्रमण की दशा में प्रभारी अधिकारी अथवा यदि प्रभारी कोई कमेटी हो तो उस कमेटी के अध्यक्ष से है।

2.3 "**समिति प्रबंधक**" से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जो प्रबंधक के कर्त्तव्य निष्पादन हेतु सोसायटी की उपविधियों के अधीन नियुक्त किया गया हो।

2.4 "**मानदेय**" से तात्पर्य किसी कर्मचारी को मानदेय के रूप में दी जाने वाली ऐसी राशि से है, जो उसके द्वारा धारण किये गये पद के लिये दी जा रही है।

2.5 "**वित्तीय वर्ष**" से तात्पर्य वह वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.6 "**अधिनियम**" से तात्पर्य छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है।

2.7 "**नाबार्ड**" से तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

2.8 "**नियम**" से तात्पर्य छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

2.9 "**रजिस्ट्रार**" से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छ0ग0 रायपुर से है।

2.10 "**उपविधि**" से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छ0ग0रायपुर या इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत सोसायटी की उपविधि से होगा।

2.11 "**समिति**" से तात्पर्य सोसायटी के संचालक मण्डल से या ऐसी अन्य निर्देशिका निकाय या प्रभारी अधिकारी से है जिसे सोसायटी के कार्यों का प्रबंध सौंपा गया हो, इसमें वह कमेटी भी सम्मिलित होगी जिसे सोसायटी की उपविधियों के अधीन समिति की शक्तियां सौंपी गई हों।

2.12 "**कर्मचारी**" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो सोसायटी के कार्य निष्पादन हेतु सोसायटी में मानदेय पर नियुक्त किया गया हो।

2.13 "**सक्षम अधिकारी**" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो सेवानियमों के अधीन कर्त्तव्य विशेष के निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया हो।

03 सोसायटी का वर्गीकरण :–

कर्मचारियों की पदवार संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से सोसायटियों को कार्य व्यवसाय के आधार पर निम्नानुसार तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है:–

क्र	कुल व्यवसाय	सोसायटी का वर्ग
1	रू. 1.00 करोड़ से अधिक का व्यवसाय	'अ' वर्ग
2	रू. 50.00 लाख से रू. 1.00 करोड़ का व्यवसाय	'ब' वर्ग
3	रू. 50.00 लाख से कम का व्यवसाय	'स' वर्ग

व्यवसाय से अभिप्राय गत 3 वर्षों में वितरित किये गये समस्त प्रकार के ऋणों का औसत एवं विगत 3 वर्षों में संकलित औसत जमा (डिपाजिट) के योग से है। जो सोसायटी के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक में दर्शित है।

04 कर्मचारियों का वर्गीकरण –

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों में कार्य करने वाले कर्मचारी निम्नानुसार होंगे :–

(1) समिति प्रबंधक
(2) लेखापाल
(3) लिपिक
(4) विक्रेता
(5) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
(6) भृत्य / चौकीदार

05 कर्मचारियों के संख्या का निर्धारण

नियम क्रमांक 3 में प्रावधानित सोसायटियों के कार्यव्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत अनुसार सोसायटी अपने कर्मचारियों के संख्या का निर्धारण निम्नानुसार करेगी:–

क्र	सोसायटी का वर्गीकरण	समिति प्रबंधक	लेखापाल	लिपिक	डाटा इंट्री आपरेटर	भृत्य / चौकीदार	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	विक्रेता	अतिरिक्त कर्मचारी (लिपिक)
1	वर्ग 'अ' (रू. 1.00 करोड से अधिक का व्यवसाय)	1	1	1	1	2	समिति यदि धान उपार्जन का कार्य करती है,तो प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु 1 डाटा एन्ट्री आपरेटर धान उपार्जन अवधि हेतु संविदा पर नियुक्त करेगी	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतर्गत संचालित प्रत्येक दुकान के लिये एक विक्रेता की नियुक्ति की जा सकेगी	तीन करोड के अतिरिक्त व्यवसाय पर एक लिपिक अतिरिक्त रखा जा सकेगा। परंतु 3 से अधिक अतिरिक्त लिपिक नहीं रखे जा सकेंगे।
2	वर्ग 'ब' (रू. 50.00 लाख से 1.00 करोड का व्यवसाय)	1	1	1	1	2			
3	वर्ग 'स' (रू. 50.00 लाख से कम का व्यवसाय)	1	1	0	0	1			

उपर दर्शायी गई संख्या अधिकतम है। अतः उपरोक्त पदों में नवीन भर्ती जब अत्यंत आवश्यक हो तभी की जावे। इस हेतु व्यय भार उठाने में समिति का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता का अभिप्राय नाबार्ड द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों से है।

यदि किसी सोसायटी में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये प्रावधान से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में दर्शाए गये कर्मचारी की संख्या से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करना अनिवार्य होगा।

सोसायटी के वर्तमान वर्गीकरण में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो जिस वर्गीकरण में संस्था आयेगी, उसी वर्गीकरण के अनुरूप कर्मचारियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जायेगी। यदि भविष्य में संस्था का वर्गीकरण वर्तमान वर्ग से नीचे के वर्ग में होता है तो कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में वर्गीकरण के अनुसार कमी करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करने का दायित्व समिति का होगा।

06 भर्ती /भर्ती हेतु चयन कमेटी :-

सोसायटी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित शाखा स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की जावेगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति सोसायटी के समिति द्वारा की जावेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगी:-

(1) संबंधित सोसायटी का अध्यक्ष — अध्यक्ष
(2) संबंधित सोसायटी का संस्था प्रबंधक — संयोजक सदस्य
(3) संबंधित विकास खण्ड का सी.ई.ओ. (सहकारिता विस्तार अधिकारी) — सदस्य
(4) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित शाखा का शाखा प्रबंधक — सदस्य
(5) सोसायटी के दो संचालक जो अध्यक्ष द्वारा नामांकित हो — सदस्य

चयन समिति द्वारा अनुसंशित/चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किया जाना सोसायटी की समिति हेतु बंधनकारी होगा।

सोसायटी के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती तभी की जावेगी जब सोसायटी स्तर पर पदोन्नति से उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध न हो।

परंतु सोसायटी अपनी कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी के लिखित पूर्व मंजूरी के कर सकेगी।

07 भर्ती हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य शर्तें :-

7.1. सेवा नियम क्र. 4 में वर्गीकृत कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता / पात्रता एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी :-

क्र	पद	शैक्षणिक योग्यता
01	समिति प्रबंधक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन को प्राथमिकता दी जावेगी ।
02	लेखापाल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक ।
03	लिपिक	(10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

04	विक्रेता	(10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।
05	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	(10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन।
06	भृत्य / चौकीदार	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

टीप:– समिति प्रबंधक के पद हेतु निर्धारित अर्हताओं के संबंध में– दिनांक 27/05/1991 के पूर्व कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जो इन संस्थाओं में सहायक समिति प्रबंधक/विक्रेता के पद पर कार्यरत थे। किंतु ऐसे 27/5/1991 के पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

7.2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होगी।

7.3. अनसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता राज्य शासन के नियमों के अनुसार होगी।

7.4. सोसायटी के कार्यक्षेत्र के आवेदक/अभ्यर्थी की नियुक्ति में प्राथमिकता होगी।

7.5. मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

7.6. अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।

7.7. छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी संचालक के कुटुम्ब का सदस्य न हो।

7.8. नियुक्ति के पूर्व संबंधित थाने से पुलिस में आपराधिक रिकार्ड के संबंध में चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

7.9. नियुक्ति के पूर्व संबंधित कर्मचारी से दस हजार रूपये का एफ.डी.आर. संबंधित शाखा के सोसायटी के पक्ष में जारी कर सोसायटी एवं कर्मचारी के संयुक्त नाम से लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसे सोसायटी के रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाना होगा।

7.10 नियुक्ति के पूर्व सोसायटी के कार्यक्षेत्र के दो भूमिधारी की जमानत आवश्यक होगी।

08 **भर्ती की प्रक्रिया :–**

8.1. सोसायटी के कर्मचारियों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।

8.2 समिति प्रबंधक की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होगा, जो आवेदक की योग्यता व अनुसार निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेगे :–

(अ) स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 80 अंक दि जायेगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 80 प्रतिशत अंक दिये जायेगे।

(ब) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 20 अं दिये जायेगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 20 प्रतिशत अंक दिये जायेगे।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

8.3 लेखापाल की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होंगे, जो आवेदक की वाणिज्य स्नातक योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें ।

8.4 लिपिक की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होंगे, जो आवेदक की (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें ।

8.5 विक्रेता की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होगा, जो आवेदक की योग्यता (10+2) परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें।

8.6 डाटा एन्ट्री आपरेटर की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होगा, जो आवेदक की योग्यता के अनुसार निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेगे।

(अ) (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अधिकतम 75 अंक दिये जायेगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 75 प्रतिशत अंक दिये जायेगे।

(ब) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 25 प्रतिशत अंक दिये जायेगे।

8.7 भृत्य/चौकीदार की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होगा, जो आवेदक की योग्यता आठवीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें।

09 **कर्मचारियों का मानदेय :–**

सोसायटी के कर्मचारियों का निश्चित मानदेय होगा। कर्मचारियों का मानदेय एवं वार्षिक वृद्धि का निर्धारण निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

क्र	पदनाम	वेतन/मानदेय (निश्चित) प्रतिमाह	वार्षिक वृद्धि	रिमार्क
1	समिति प्रबंधक	6000/-	300/-	-
2	लेखापाल	5000/-	250/-	-
3	लिपिक	4500/-	250/-	-
4	विक्रेता	4000/-	250/-	-
5	डाटा इंट्री ऑपरेटर	4000/-	250/-	
6	भृत्य/चौकीदार	3800/-	100/-	-

टीप :– उपरोक्तानुसार सुझाये गये मानदेय एवं वार्षिक वृद्धि दोनों अधिकतम हैं। सोसायटी की समिति में विचार कर सोसायटी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की स्थिति में भुगतान क्षमता नहीं होने पर सुझाये गये मानदेय एवं वार्षिक वृद्धि को कम करने के संबंध में निर्णय लेगी। जिन संस्था कर्मचारियों को उपर दर्शाये गये मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है, तदानुसार वे

पंजीयक

प्राप्त करते रहेंगे।

10 पदोन्नति :–

सोसायटी के रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित अर्हताएं धारण करने पर कर्मचारियों को पदोन्नति नियमानुसार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नति की जा सकेगी :–

10.1 सोसायटी के कर्मचारी पदोन्नति के पद हेतु सेवा नियम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

10.2 पदोन्नति हेतु कर्मचारी की कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा सोसायटी में आवश्यक होगी।

10.3. पदोन्नत होने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कोई गबन/धोखाधड़ी से संबंधित कोई प्रमाणित शिकायत/जांच के लिये शिकायत लंबित न हो, साथ ही उस कर्मचारी को विगत तीन वर्षों में दण्डित करने की कार्यवाही न की गई हो।

10.4. रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु संस्था की प्रबंधकारिणी समिति सक्षम होगी।

10.5. पदोन्नति हेतु श्रंखला निम्नानुसार होगी :–

क्र	पद का नाम	पद जिसमें पदोन्नति किया जाना है
1	लेखापाल	समिति प्रबंधक
2	लिपिक	लेखापाल
3	विक्रेता/डाटा इंट्री ऑपरेटर	लिपिक
4	भृत्य/चौकीदार	विक्रेता

11 11.1. **आकस्मिक अवकाश** –

(क) कर्मचारी 1 वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश ले सकेगा। कर्मचारी को एक समय में 5 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जावेगा। घोषित अवकाश एवं रविवार आकस्मिक अवकाश के प्रारंभ, मध्य एवं अंत में जुड़ सकते हैं, परन्तु इन्हें जोड़ते हुए कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि 8 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ख) आकस्मिक अवकाश अन्य अवकाश के साथ नहीं जोडा जावेगा।

(ग) आकस्मिक अवकाश की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार होगी एवं वर्षान्त पर शेष आकस्मिक अवकाश समाप्त (Laps) हो जाएगा।

11.2. **चिकित्सा अवकाश**

वर्ष में कुल 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश सोसायटी के कर्मचारियों को दी जा सकेगी।

11.3 **अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी** –

समिति प्रबंधक के अवकाश की स्वीकृति हेतु सोसायटी का अध्यक्ष एवं शेष कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति के लिये सोसायटी का समिति प्रबंधक सक्षम अधिकारी होगा।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

11.4. अवकाश हेतु प्रक्रिया –

(क) कोई भी कर्मचारी अधिकार के रूप में किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा, किसी कर्मचारी को अवकाश यदि वह देय हो, स्वीकृत करना पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा, यदि सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक हुआ तो स्वीकृत किया गया अवकाश निरस्त किया जा सकता है तथा कर्मचारी को काम पर वापस बुलाया जा सकता है।

(ख) कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा बीमारी या दुर्घटना की दशा में बिना शासकीय चिकित्सा अधिकारी अथवा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(ग) ऐसा कर्मचारी जो नकदी का भार रखता हो या जो शाखा, उपशाखा या अन्य कार्यालय का प्रभारी हो, सक्षम अधिकारी की लिखित में पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना ना तो अपने पदस्थी स्थान से रात के समय में अनुपस्थित रहेगा और ना ही अवकाश के दिनों में मुख्यालय छोड़ेगा।

(घ) कोई भी कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी अथवा निकटतम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ेगा।

(ङ) अपने कार्य का कार्यभार (Charge) दिये बिना कोई कर्मचारी किसी भी अवकाश पर नहीं जावेगा।

(च) कोई भी कर्मचारी अवकाश पर जाने के पूर्व अवकाश स्वीकृत कराने वाले अधिकारी को अवकाश की अवधि के अपने पते से अवगत करायेगा तथा अधिकारी के पास उसके द्वारा दिये गये पते में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो सूचित करेगा।

(छ) सोसायटी का कार्यालय निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन घोषित अवकाश के दिन बन्द रहेगा। सोसायटी का साप्ताहिक अवकाश एवं कार्यालयीन समय स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(द) विलंब से आने वाले कर्मचारी को उपस्थिति पंजी में विलंब से उपस्थित मार्क किया जावेगा व माह में तीन दिन देरी से आने के मार्क पर एक दिन आकस्मिक अवकाश या एक दिन का मानदेय काटा जावेगा।

12 प्रशिक्षण :–

सोसायटी अपने कर्मचारियों के लिये उनके कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्यतः करेगी । प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण कराना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण का व्यय सोसायटी स्वयं वहन करेगी एवं अपने वार्षिक बजट में प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।

13 कर्मचारियो हेतु दुर्घटना बीमा :–

सोसायटी अपने कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा राशि रू0 1.00 लाख का करेगी, जिसकी प्रीमियम राशि सोसायटी द्वारा वहन की जावेगी।

पंजीयक

14 **चौकीदार एवं भृत्य को वर्दी :–**

यदि समिति सक्षम हो तो वर्ष में एक बार चौकीदार/भृत्य को वर्दी दिया जाना चाहिये।

15 15.1. **अनुशासनात्मक कार्यवाही –**

कर्तव्य सूची में दर्शाए गए कर्तव्यों का पालन समुचित ढंग से नहीं करने, कार्य में रूचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने, संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित सेवायुक्त के विरूद्ध समिति, सोसायटी प्रबंधक से जांच करा सकेगी। जिसमें कर्मचारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए जांच पर निर्णय सोसायटी की समिति द्वारा लिया जावेगा। सोसायटी प्रबंधक के प्रकरण में समिति को वित्तदायी संस्था के अधिकारियों के पैनल में से किसी भी अधिकारी से जांच कराकर विधिमान्य निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

जांच की कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जावेगी तथा ऐसे विषय पर दो माह के अन्दर निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा। जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी को उसके द्वारा सोसायटी को पहुचाये गये नुकसान की वास्तविक राशि की वसूली के अलावा सेवा से पृथक किया जा सकेगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण नियमानुसार सक्षम सहकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार किसी भी कर्मचारी की जांच कराने हेतु सक्षम होगा।

15.2. **दण्ड हेतु सक्षम अधिकारी :–**

किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा नियम अनुसार दण्ड देने के लिये समिति सक्षम होगी।

16 सोसायटी के कर्मचारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगें।

17. **सेवानिवृत्ति की अवधि :–**

सभी पदों हेतु सेवानिवृत्ति की अवधि 60 वर्ष निर्धारित होगी।

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

(विवेकानंद काम्प्लेक्स, विवेकानंद नगर, पेंशनबाड़ा चौक, रायपुर)
(दूरभाष नं. 4002022, 2446301, सेन्ट्रेक्स 2252, फैक्स : 4002029)

क्रमांक / साख–1 / एफ–एक / 12 /

रायपुर दिनांक अक्टूबर, 2012

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों हेतु कार्यालयीन आदेश क्र / साख–1 / एफ–एक / 12 / 6925 दिनांक 10 / 10 / 2012 द्वारा जारी सेवा नियम 2012 के नियम क्रमांक 9 मे दर्शायी गई टीप को विलोपित करते हुए इसके पश्चात नवीन परंतुक संलग्न परिशिष्ट अनुसार जोड़ते हुए प्रतिस्थापित करता हूं।

यह संशोधन आदेश समिति द्वारा अंगीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / साख–1 / एफ–एक / 12 / 7215
रायपुर दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि :–

1 निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर।
2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3 सचिव, छ0ग0शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4 संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं समस्त ..... छत्तीसगढ़।
5 प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 रायपुर।
6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 समस्त छ0ग0।
7 अध्यक्ष / प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियां समस्त छ0ग0।
8 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर।

सुरेन्द्र कुमार
पंजीयक 31/10/12
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट

सेवा नियम में संशोधन

मूल सेवा नियम क्रमांक 9 – कर्मचारियों के मानदेय

मूल सेवा नियम क्रमांक 9 मे दर्शायी गई टीप को विलोपित करते हुए निम्न परंतुक जोड़ा जाता है :–

परंतु सोसायटी का संचालक मण्डल संस्था के कर्मचारियों के मानदेय मे नीचे दर्शायी गयी शर्तो के अधीन वृद्वि/कमी कर सकेगा। मानदेय के रुप मे संस्था द्वारा भुगतान की जाने वाली समस्त राशि निम्न मापदंडो के अधीन रहेगी।''

(1) भुगतान क्षमता–

जो संस्था निम्नलिखित शर्तो को पूरा करेगी,वह भुगतान क्षमता धारित करने योग्य मानी जाएगी–

(i) जो संस्था लगातार विगत तीन वर्षो से लाभ मे हो एवं अर्जित लाभ में से अदत्त व्यय (outstanding Expences) अगानक आस्ति(संदिग्ध एवं डूबत ऋण सहित) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं विभाग द्वारा जारी मापदण्डों के अधीन संपत्तियों पर अवक्षयण (Depreciation) का पूर्ण प्रावधान कर लिया गया हो,

(ii) संस्था का विगत 3 वर्षो मे पूंजी व जोखिम पूर्ण संपत्ति अनुपात (CRAR) 7 प्रतिशत या समय–समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधित दर के अधीन हो,

(iii) संस्था विगत 3 वर्षो से निरंतर संचित हानि मे न हो

(2)प्रबंधकीय लागत–

संस्था की कुल प्रबंधकीय लागत कुल आय (ब्याज की शुद्व आय एवं अन्य आय) के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

(3) स्थापना लागत–

संस्था की स्थापना लागत कुल आय (ब्याज की शुद्व आय एवं अन्य आय) के 30 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

संस्था के संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त स्थिति का परीक्षण करने एवं संस्था की भुगतान क्षमता, प्रबंधकीय एवं स्थापना लागत का परीक्षण विगत तीन वर्षो की संस्था की अंकेक्षित बैलेन्सशीट के आधार पर करते हुए परीक्षण मे पात्र पाये जाने पर ही कर्मचारियों के लिए मानदेय वृद्वि/कमी करने के संबंध मे निर्णय ले सकेगा।

पंजीयक 31/10